न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

निर्णय दिनांक 05.12.2019

राजस्व दावा संख्या 29/2019

1. गोरधनराम 2. आसुराम पिसरान भीखाराम जाति जाट निवासी पांचू उतरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

.........वादीगण

बनाम

1. मघाराम 2. सुगनाराम 3. पुरा 4. भंवरी पिसरान गणेषाराम जाति जाट निवासी पांचू उतरी तहसील नोखा जिलां बीकानेर 5. आई.सी.आई.सी.आई बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा भादला6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) नोखा।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री सीताराम बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. श्री चुन्नीलाल बरोड़, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
3. श्री गौतमगिरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की तरफ से
4. प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
5. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा वादी के संक्षेपं मे तथ्य इस प्रकार से है कि मुतनाजा भूमि वाके रोही पांचू उतरी के खसरा नम्बर 1983 तादादी 3.75 हैक्टयंर, खसरा नम्बर 1984 तादादी 3.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2012 तादादी 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2061 तादादी 3.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2065 तादादी 2.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2127 तादादी 2.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2128 तादादी 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2129 तादादी 2.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2130 तादादी 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2131 तादादी 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6572/2064 तादादी 0.33 हैक्टयर, कुल तादादी 20.85 हैक्टयर मे स्थित है। वादगत भूमि में वादीगण का संयूक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित है इसी कदर प्रतिवादी संख्या 1 का 5/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का संयूक्त रूप से 3/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयूक्त खाते की भूमि को हिस्से के अनुसार काबिज होकर सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है वादीगण ने अपने हिस्से मे खसरा नम्बर 2061, 2065 मे आवास के लिए ढाणी भी बनाकर चारो तरफ बाड़ की हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयूक्त खाते की भूमि मे अपने अपने हिस्से के अनुसार

लगातार 2

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * नोखा (बीकानेर) *

5/12

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को सुधारने व ऋण लेने मे समस्या आती है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई बार अपने हिस्से के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वे टालमटोल करते रहे। दिनांक 30.01.2019 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को अपने अपने हिस्से के अनुसार विभाजन करवाने के लिए जोर देकर कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने विभाजन करवाने के लिए इंकार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने कहा कि वादीगण ने विभाजन के लिए प्रयास किया तो प्रतिवादीगण मौके पर वादीगण के काबिज हिस्से पर कब्जा कर वादीगण को वादगत भूमि से बेदखल कर देंगे। यही घटना विनाय दावा मुखास्मत है। ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त मे चली आ रही भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय मे प्रस्तुत करे, इस हेतु यह दावा प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट को लैण्ड होल्डर होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नही चाहा गया है इसी कदर प्रतिवादी संख्या 5 के अधीन वादी संख्या 2 का हिस्सा रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है उनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। दावा वादीगण पूर्ण कोर्ट फ़ीस पर व अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो काबिल समाअत अदालत वाला है। अतः दावा वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिग्री किया जावें। डिक्री खाता विभाजन बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 इस आशय की जारी की जावें कि वादगत भूमि वाके रोही पांचू उतरी के खसरा नम्बर 1983 तादादी 3.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1984 तादादी 3.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2012 तादादी 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2061 तादादी 3.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2065 तादादी 2.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2127 तादादी 2.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2128 तादादी 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2129 तादादी 2.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2130 तादादी 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2131 तादादी 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6572/2064 तादादी 0.33 हैक्टयर, कुल तादादी 20.85 हैक्टयर मे वादीगण के 1/2 हिस्सा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा जारी की जावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

5/12

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार 3

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 26/2019

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 21.08.2019 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल बरोड़ व प्रतिवादी सं. 5 की ओर से अधिवक्ता श्री गौतमगिरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादी सं. 2 ता 4 बावजूद रजिस्टर्ड समन के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। पेशी दिनांक 5.9.2019, 3.10.2019, 7.11.2019 को भी वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। आज पेशी दिनांक 5.12.2019 को वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा मात्र खाता विभाजन का है। बाइ मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने भी खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया ।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील उभय पक्ष की बहस के तर्को पर मनन किया जिससे वादीगण का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीगण का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही पांचू उतरी के खसरा नम्बर 1983 तादादी 3.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1984 तादादी 3.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2012 तादादी 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2061 तादादी 3.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2065 तादादी 2.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2127 तादादी 2.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2128 तादादी 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2129 तादादी 2.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2130 तादादी 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2131 तादादी 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6572/2064 तादादी 0.33 हैक्टयर, कुल तादादी 20.85 हैक्टयर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव करवाने एवं लगान पृथक-पृथक निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही मौके पर वादगत भूमि के विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी सं. 2 ता 4 भी सुने यदि वे भी अपने-अपने वादगत भूमि के खाते का विभाजन करवाने चाहते हो तो उनको भी सुन कर उनके हिस्से की भूमि के विभाजन प्रस्ताव एवं लगान पृथक-पृथक निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार, वादीगण के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **05.12.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

5/12

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा

बईजलास रमेश देव आर.ए.एस.

गोरधनराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी पांचू उतरी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम मघाराम वगैरहा

दावा बाबत विभाजन.

मुकदमा नम्बर 29/2019

निर्णय दिनांक 05.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम बिश्नोई, मिनजानिब मुदई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्रही चुन्नीलाल बरोड़ व प्रतिवादी सं. 5 की ओर से गौतमगिरी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही तथा स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही पांचू उतरी के खसरा नम्बर 1983 तादादी 3.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1984 तादादी 3.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2012 तादादी 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2061 तादादी 3.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2065 तादादी 2.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2127 तादादी 2.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2128 तादादी 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2129 तादादी 2.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2130 तादादी 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2131 तादादी 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6572/2064 तादादी 0.33 हैक्टयर, कुल तादादी 20.85 हैक्टयर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव करवाने एवं लगान पृथक–पृथक निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही मौके पर वादगत भूमि के विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादी सं. 2 ता 4 भी सुने यदि वे भी अपने–अपने वादगत भूमि के खाते का विभाजन करवाने चाहते हो तो उनको भी सुन कर उनके हिस्से की भूमि के विभाजन प्रस्ताव एवं लगान पृथक–पृथक निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार, वादीगण के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक **05** माह **दिसम्बर** सन् **2019** को जारी किया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 17:56:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: